वजह से आम आदमी को जमा-पूंजी पर उसका जायज़ हक नहीं मिल रहा है, उसको जायज़ ब्याज नहीं मिल रहा है।

महोदय, हमारी समाजवादी प्रजातंत्र में जो आदमी अमीर है और जो 27 करोड़ अकाउंट्स हैं और उनके पास जो एफडीज़ हैं, तो एफडी पर औसतन 7 प्रतिशत ब्याज मिलता है। मुझे हैरानी तब होती है कि जो आदमी गरीब है, जैसे किसान, मजदूर हैं, उन्हें सिर्फ ढाई प्रतिशत औसतन ब्याज मिलता है और जिनके अकाउंट की संख्या 236 करोड़ है। सर, यदि कोई इंसान एक लाख रुपये एफडी में डिपोज़िट करवाता है, तो उसको सात हजार रुपये मिलते हैं, करंट अकाउंट में पैसा जमा करवाता है, तो ज़ीरो मिलता है और सेविंग अकाउंट में करवाता है, तो ढाई हजार रुपये मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि सेविंग अकाउंट में एफडी का एक-तिहाई हिस्सा मिलता है और करंट अकाउंट हो, तो उस पर जीरो मिलता है। आज 236 करोड़ लोग इससे अफैक्टेड हैं। मुझे इस बात को कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक और सरकारी बैंक दोनों मिलकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं ...(**समय की घंटी**)... और गरीब आदमी के साथ अपने monopolistic status का नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं।

महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 के अंतर्गत public interest में सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को एफडी के इंटरेस्ट के नजदीक लाया जाए। यह मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Ashok Kumar Mittal: Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri Jose K. Mani (Kerala).

Demand to Increase the amount of financial assistance from Rs.1.30 Lakh to Rs. 2 Lakh given under the Scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G)

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्नाटक): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं इस सदन का ध्यान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण' से संबंधित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।)*

महोदय, 2014 से पहले के 29 वर्षों में 'इंदिरा आवास योजना' के माध्यम से केवल 3 करोड़, 25 लाख घर बनाए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार

ने पिछले 10 वर्षों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण' के अंतर्गत 2 करोड़, 64 लाख ग्रामीण घरों का निर्माण किया है। हमारी सरकार ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' में न्यूनतम क्षेत्र को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया है। इसके साथ ही प्रति यूनिट सहायता को सामान्य क्षेत्र में 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये एवं पहाड़ी तथा कठिन क्षेत्र में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये तक गया है। हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा की है। यह बढ़ती जनसंख्या और नए परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम है। महोदय, वर्तमान आर्थिक परिस्थिति और निर्माण लागत में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस योजना के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता को और बढ़ाया जाए। इससे इस योजना की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण' के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा कर वर्तमान जरूरत के अनुसार दी जाने वाली प्रति यूनिट सहायता को 1,30,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये तक किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को आवास मिल सके। मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है। उपसभापति महोदय, मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Iranna Kadadi: Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam).

Demand to take preventive measures to combat with devastating flood situations in Assam

श्री रामेश्वर तेली (असम): धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान असम में बार-बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ की ओर दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, असम में हर साल बाढ़ आती है। असम के चारों ओर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, जो पहाड़ी स्टेट्स हैं और उनका पानी असम में आ जाता है। असम में पानी आने के बाद हर साल बाढ़ आती है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, जान-माल की हानि भी होती है, बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से असम के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए एक स्थायी और दीर्घकालीन समाधान देने का आग्रह करता हूं।

उपसभापति महोदय ,मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।